न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/07/2024	2024/66	14.05.2024	27.02.2025

1. ब्रजेश पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति जाट, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम मूडिया, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज०)
2. अजब सिंह पुत्र श्री गोपाल, जाति जाट, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम मूडिया, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज०)
3. अज्जो उर्फ अजय सिंह पुत्र नाहर सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम मूडिया, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज०)
4. महेश पुत्र फूलसिंह, जाति जाट, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम मूडिया, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज०) बहेसियत खुद व नुमाईन्दगान ग्राम मूडिया, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज०)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. विशम्भर पुत्र चिंरजी जाति मीरासी निवासी ग्राम दूधेरी तहसील कठूमर जिला अलवर (राज०)
2. रज्जन पुत्र चिरंजी जाति मीरासी निवासी ग्राम दूधेरी तहसील कठूमर जिला अलवर (राज०)
3. सुशीला पत्नी राजेश जाति जाट निवासी ग्राम मूडिया तहसील कठूमर जिला अलवर (राज०)
4. प्रधानाध्यापक रा० उ० प्रा० विद्यालय पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर (राज०)
5. शकुन्तला पत्नी देवीसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मूडिया तहसील कठूमर जिला अलवर (राज०)
6. माया देवी पत्नी पूर्णसिंह, जाति जाट निवासी ग्राम मूडिया तहसील कठूमर जिला अलवर (राज०)

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री दिनेश कुमार यादव —वकील प्रार्थीगण
02—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अप्रार्थी0

निर्णयः—

वकील प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) सहायक कलक्टर राजगढ़ जिला अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 01.09.1975 द्वारा विवादित आराजी का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा ग्राम मुण्डिया, तहसील कठूमर, जिला अलवर में स्थित है। आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 79 गैर मुमकिन पोखर है जिस आराजी मे हम सायलान की व वासिन्दगान ग्राम के मवेशियान नहाते हैं व पानी पीते हैं एवं विश्राम करते हैं। आराजी मुतनाजा गलत तरीके पर चिरंजी को आवंटित की है। जिससे हम वासिन्दगान ग्राम के हकूक खतरे में पड जाने का अंदेशा है। चूंकि हम वासिन्दगान व ग्राम वासिन्दगान के मवेशियान उक्त आराजी मुतनाजा में नहाते है व विश्राम करते है। यदि समस्त वासिन्दगान को मुकदमे में पक्षकार बनाया तो उनको काफी आर्थिक परेशानी होगी व काश्तकारी व मजदूरी छूटेगी। जिससे समस्त वासिन्दगान मूण्डिया तहसील कठूमर ने हमको प्रार्थना पत्र पेश करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया है। जिससे मौजूदा प्रार्थना पत्र हम प्रार्थीयान की ओर से पेश है। जिस बाबत प्रार्थना पत्र 1 नियम 8 जा० दी० अलग से पेश है।

आवंटन आराजी मुतनाजा का गलत तरीके पर रेस्पोडेण्ट नं. 1 व 2 के पिता के नाम किया है। उक्त आवंटन में हम सायलान व वारिन्दगान ग्राम मूंडिया पक्षकार नहीं थे उक्त आंवटन आदेश से हम प्रार्थीयान के हकूक जायल होकर खतरे में पड जाने का अंदेशा है। चूंकि आराजी मुतनाजा पौखर है। जिस आराजी मुतनाजा में हम वासिन्दगान ग्राम की व हम सायलान के मवेशियान पानी पीते है व विश्राम करते है। जिससे हम सायलान को उक्त आवंटन के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है।

भू--आवंटन अधिकारी ने गलत तरीके पर आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 79 मिन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डिया, तहसील कठूमर, जिला अलवर का आवंटन दिनांक 01.09.1975 को चिरंजी पुत्र भीखा के पक्ष में गलत तरीके पर किया है। जिसका ईल्म हम सायलान को पहले नहीं था। दिनांक 03.07.2017 को सर्वप्रथम उक्त आंवटन का ईल्म हुआ। जब गैरसायलान उक्त आराजी पर आये व उक्त आराजी पर निर्माण कार्य व कब्जा करने की धमकी दी। जिससे हम सायलान ने उसी दिन नकल आंवटन आदेश दिनांक 01.09.1975 व फार्म भूमिहीन किसानों के लिए प्रार्थना पत्र चिरंजी के नाम का प्राप्त करने का पेश किया। जिस पर नकल दिनांक 05.07.2017 को मिली। जिससे मौजूदा प्रार्थना पत्र बिला देरी के पेश है।

उक्त आराजी खसरा नंबर 79 कागजात माल में संवत् 2002 से गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2002 एवं संवत् 2020 ग्राम मूंडिया, तहसील कठूमर के खसरा नंबर 79 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन पोखर दर्ज है एवं उक्त खसरा नंबर 79 को ही तरमीम कर खसरा नंबर 79/300 बनाया गया है जो भूमि राजकीय खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 45 के हाल खसरा नंबर 79 बने हैं, जो कि सेटलमेण्ट विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2028 के अनुसार खसरा नंबर 79 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन पोखर राजकीय खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थे। जरिये नामान्तरण संख्या 9 दिनांक 01.09.1975 एवं नामान्तरण संख्या 10 दिनांक 06.11.1975 से आराजीयात की भूमि परिवर्तन की गई थी।

नामान्तरण संख्या 24 दिनांक 06.11.1975 से भूमि खसरा नंबर 79 में से 1 बीघा 10 बिस्वा आवंटन आदेश दिनांक 01.09.1975 के चिरंजी पुत्र भीखा मीरासी निवासी दुधेरी के नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुआ। बाद में आराजी मुतनाजा बाबत चिरंजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। चिरंजी के मरने के बाद उसका इंतकाल विरासत नंबर 556 दिनांक 20.04.2017 को गैरसायल सं. 1 व 2 के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया व गैरसायल सं. 1 व 2 ने आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 79/300 में से 15/38 हिस्सा श्रीमती सुशीला गैरसायला को बैय किया व इंतकाल नंबर 565 दिनांक 26.05.2017 के तहत गैरसायल सं. 1 व 2 ने आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 79/300 में से समपर्णनामा खसरा नंबर 79/300 विशम्भर रज्जन पि० चिरंजी 23/38 बहक रा० उ० प्रा० वि० मूंडिया को 15/38 हिस्सा बैय किया गया व इंतकाल नंबर 566 दिनांक 26.05.2017 के आराजी खसरा नंबर 79/300 विशम्भर रज्जन पुत्रान चिंरजी को 8/38 बहक शकुन्तला पत्नी देवीसिंह माया पत्नी पूर्णसिंह को 4/38 हिस्सा बैया किया गया।

गैरसायल सं. 1 व 2 के पिता ने जो भूमिहीन किसानों के लिए प्रार्थना पत्र जो भरा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ग्राम दूधेरी में मृतक चिरंजी के पास आराजी नहीं है परन्तु प्रार्थी चिरंजी के पिता के पास 7 बीघा 14 बिस्वा आराजी है। प्रार्थी चिरंजी अपने पिता के साथ शामिल हाल रहता है के बाबत रिपोर्ट की है व बाद में यह अंकित किया है कि प्रार्थी पिता के शामिल नहीं रहता है व यह भी रिपोर्ट की है कि भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी ग्राम मूंडिया में आराजी चाहता है। इसलिए आराजी मुतनाजा गलत तरीके पर आवंटन की है। प्रार्थी चिरंजी मृतक ग्राम मूंडिया का रहने वाला नहीं है बल्कि प्रार्थी मृतक चिंरजी ग्राम दूधेरी का

आ. [illegible] (प्रथम)
अलवर (राज०)

रहने वाला है। आवंटन के तहत आराजी मुतनाजा खाली नहीं थी, बल्कि आराजी मुतनाजा पर पोखर रकबा था व आराजी मुतनाजा पर हम सायलान व वारिन्दगान के मवेशियान पानी पीते थे व विश्राम करते थे व विश्राम कर रहे है।

आवंटन के तहत किसी प्रकार की आम सूचना आदि प्रकाशित नहीं कराई व ना समाचार पत्र में प्रकाशित कराई बल्कि कुल कार्यवाही बालाबाला गुपचुप में कराई है। आवण्टी द्वारा अपना नाम आराजी मुतनाजा का आंवटन विधि विरूद्ध कराया है। जो काबिल खारिज है।

उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2002 के अनुसार गैर गुमकिन पोखर दर्ज रिकॉर्ड थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों में शामिल होने तथा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबन्धित श्रेणी की होने के कारण उक्त भूमियों का किया गया आवंटन तथा उसके आधार पर समय समय पर किये गये परिवर्तन सभी प्रारम्भ से ही शून्य होने से काबिल खारिज है। उक्त भूमियां जल भराव एवं बहाव से सम्बन्धित होने के कारण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा जारी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जा सकती तथा उक्त भूमियों का कृषि या अन्य उपयोग नहीं किया जा सकता है, तथा किसी प्रकार से विक्रय रहन दान आदि नहीं किया जा सकता है।

गैरसायल सं. 1 व 2 ने आराजी मुतनाजा का बेचान गैरसायलान सुशीला व शकुन्तला को गलत किया है व गैरसायल सं. 4 को गलत तरीके पर समपर्णनामा किया है। गैरसायल सं. 1 और 2 गैरसायलन सुशीला, शकुंतला व स्कूल को आराजी मुतनाजा का कब्जा भी नहीं दिया है। तजबीज भू आवंटन अधिकारी, सहायक कलैक्टर राजगढ मुख्यालय अलवर होने से प्रार्थना पत्र काबिल समाअत अदालत श्रीमान् है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन दिनांक 01—09—1975 को जो गैरसायल नं. 1 व 2 के पिता को किया है वो निरस्त किया जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि उक्त आराजी की किस्म पोखर से बारानी परिवर्तित हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र 14(4) केवल चिरंजी के विरूद्ध पेश किया गया है औरों के विरूद्ध नहीं। खातेदारी के बाद प्रार्थना—पत्र 14(4) पोषनीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करें। विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में भू—प्रबंध विभाग जमाबंदी संवत् 2028, इंतकाल सं. 41, 769, 152, 566, जमाबंदी संवत 2069—72, बैयनामा दिनांक 24.05.2017 तथा 2022-23(Supp.) RRT 420, 2023(2) RRT 1218, 2022-23(Supp.) RRT 423 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन—मनन किया। भू आवंटन अधिकारी, सहायक कलेक्टर राजगढ मुख्यालय अलवर द्वारा आराजी खसरा नंबर 79 मिन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मूडीया तहसील कठूमर जिला अलवर का चिरंजी पुत्र भीखा के पक्ष में दिनांक 01.09.1975 को आवंटन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2020 ग्राम मूंडिया, तहसील कठूमर के आराजी खसरा नंबर 45 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन पोखर दर्ज रिकॉर्ड है। सेटलमेण्ट विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2028 एवं जामबंदी संवत् 2036 के अनुसार खसरा नंबर 79 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन पोखर दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2030 में उक्त आराजी गैर मुमकिन पोखर दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों में शामिल होने तथा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबन्धित श्रेणी की होने के कारण उक्त भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि जल भराव एवं बहाव से सम्बन्धित होने के कारण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा जारी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जा सकती तथा उक्त भूमियों का कृषि या अन्य उपयोग नहीं किया जा सकता है, तथा किसी प्रकार से विक्रय रहन दान आदि नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जॉच के, बिना उद्घोषणा के अप्रार्थीगण को उक्त

अ। रेवत [illegible] (प्रथम)
अलवर (राज.)

विवादित आराजी आवंटित की गई है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 01.09.1975 निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 01.09.1975 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश दिये जाते हैं कि साबिक खसरा नंबर 45 हाल खसरा नंबर 79 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिति गैर मुमकिन पोखर राजकीय भूमि में नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)